

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी 2026 — फाल्गुन 5, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक LAND/1805/2025-HOUSING/32. — राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-

कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

स. क्र.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में)	अंगीकृत कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण
1	भुलसीडीह	1	6.560 में से 6.316	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (राखड़ पाईप-0.102 हे., प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.142 हे. भूमि छोड़कर)
2		3	0.920 में से 0.792	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (राखड़ पाईप-0.063 हे., मार्ग-0.065 हे. भूमि छोड़कर)
3		4	0.730 में से 0.730	कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
4		5	0.680 में से 0.680	कृषि एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
5		8	2.240 में से 2.240	कृषि	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
6		9	0.840 में से 0.840	कृषि एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
7		10	0.450 में से 0.450	कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
8		11	4.330 में से 4.210	कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.120 हे. भूमि छोड़कर)
9		12	0.580 में से 0.480	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.100 हे. भूमि छोड़कर)

10	13	0.100 में से 0.038	कृषि एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.062 हे. भूमि छोड़कर)
11	14	0.400 में से 0.341	कृषि एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.059 हे. भूमि छोड़कर)
12	15	0.550 में से 0.284	कृषि	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.266 हे. भूमि छोड़कर)
13	16	0.930 में से 0.814	कृषि	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.117 हे. भूमि छोड़कर)
14	19	2.020 में से 1.997	कृषि	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.023 हे. भूमि छोड़कर)
15	109	0.090 में से 0.090	कृषि एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
16	112	0.250 में से 0.250	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
17	113	0.280 में से 0.280	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
18	114	0.700 में से 0.700	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
19	115	0.370 में से 0.370	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
20	117	0.180 में से 0.180	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
21	118	0.370 में से 0.370	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
22	120	7.950 में से 7.757	कृषि, आमोद-प्रमोद, वन आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.193 हे. भूमि छोड़कर)
23	122	0.760 में से 0.760	वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
24	125	0.080 में से 0.080	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
25	126	0.400 में से 0.400	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
26	127	0.040 में से 0.040	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
27	131	0.190 में से 0.190	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
28	136	0.570 में से 0.570	कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
29	138	0.140 में से 0.140	कृषि एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
30	139	0.600 में से 0.600	कृषि एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
31	143	0.440 में से 0.440	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
32	145	0.050 में से 0.050	कृषि एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
33	148	0.190 में से 0.190	कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
34	150	0.770 में से 0.770	कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
35	152	0.370 में से 0.370	कृषि	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
36	153	0.160 में से 0.160	कृषि	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
37	166	0.320 में से 0.320	कृषि एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
38	168	0.800 में से 0.776	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.024 हे. भूमि छोड़कर)
39	205	0.170 में से 0.160	कृषि एवं वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.010 हे. भूमि छोड़कर)
40	206	0.200 में से 0.188	कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.012 हे. भूमि छोड़कर)
41	207	0.210 में से 0.200	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.010 हे. भूमि छोड़कर)
42	208	0.530 में से 0.500	आमोद-प्रमोद, वन एवं आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.030 हे. भूमि छोड़कर)

43		209	0.200 में से 0.200	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
44		210	0.810 में से 0.743	आमोद-प्रमोद, वन एवं आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.067 हे. भूमि छोड़कर)
45		212	0.650 में से 0.650	वन एवं आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
46		213	0.960 में से 0.960	वन	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
47		639	1.000 में से 0.963	कृषि एवं आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.037 हे. भूमि छोड़कर)
48		640	7.040 में से 6.984	कृषि, आमोद-प्रमोद, वन एवं आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.056 हे. भूमि छोड़कर)
49		641	0.820 में से 0.820	कृषि, आमोद-प्रमोद एवं आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
50		645	0.020 में से 0.003	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.017 हे. भूमि छोड़कर)
51		646	0.270 में से 0.252	वन एवं आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.018 हे. भूमि छोड़कर)
		योग	50.280 में से 48.688		

- 2/ उक्त उपांतरण कोरबा जिला स्थित ग्राम भुलसीडी हमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु।
3/ सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
4/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित), 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित), 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र भारद्वाज, विशेष सचिव.